

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-770/ग्यारह-9(820)/92-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(07)-2006

लखनऊ :: दिनांक :: 05 मई, 2006

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002) की धारा 22 एवं स्पेशल इकोनामिक जोन ऐक्ट, 2005 (ऐक्ट संख्या 28 सन् 2005) की धारा 50 के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि दिनांक 05 मई, 2006 से उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्राविधान इस उपान्तर के साथ लागू होंगे कि डामेस्टिक टैरिफ एरिया से स्पेशल इकोनामिक जोन की अधिकृत इकाइयों को की गई बिक्री के संव्यवहार तथा स्पेशल इकोनामिक जोन की अधिकृत इकाइयों से डामेस्टिक टैरिफ एरिया में की गई बिक्री के संव्यवहार उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्राविधानों से मुक्त होंगे।

स्पष्टीकरण : इस विज्ञप्ति के प्रयोजनों के लिए शब्द 'स्पेशल इकोनामिक जोन' और 'डामेस्टिक टैरिफ एरिया' के वही अर्थ होंगे जो स्पेशल इकोनामिक जोन ऐक्ट, 2005 में उनके लिए समनुदेशित है।

आज्ञा से,

(डा0 बच्चितर सिंह)
सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. KA. NL-2-770/XI-9(820)/92-U.P.Act-15-48-Order(07)-2006 dated May 05, 2006

NOTIFICATION

KA. NL-2-770/XI-9(820)/92-U.P. Act-15-48-Order(07)-2006

Lucknow : : Dated : : May 05, 2006

In exercise of the powers under section 22 of the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 (U.P. Act no 10 of 2002) and section 50 of the Special Economic Zone Act, 2005 (Act no. 28 of 2005), the Governor is pleased to declare that with effect from May 5, 2006 the provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall apply with the modification that the transactions of sale from Domestic Tariff Area to authorised units in Special Economic Zone and the transactions of sale from authorised units in Special Economic Zone to Domestic Tariff Area shall be exempted from the provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act. 1948.

Explanation : For the purposes of this notification, the words " Special Economic Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meaning as assigned to them in Special Economic Zone Act, 2005

By Order,

(Dr. Bachittar Singh)
Sachiv